उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या 643 /XXVII (7) (अं0पे0यो0)/ 2010
देहरादून :: दिनाँक 11 अगस्त, 2010

कार्यालय ज्ञाप

राज्य सरकार की सरकारी सेवा में दिनाँक 1 अक्टूबर, 2005 को अथवा उसके बाद आने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए अधिसूचना संख्या 20/XXVII (7)/ 2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा नई अंशदान पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया था। इस सम्बन्ध में अब तक समय–समय पर अधिसूचना सं0 21/XXVII (7)अं0पें0यो0/2005, दि0 25 अक्टूबर, 2005,का0ज्ञा0 सं0 132/XXVII (7)/2006, दि0 24 जुलाई, 2006, सं 346/XXVII(7)/2007, दि0 21 नवम्बर, 2007 तथा, सं0 210/XXVII (7)/2008, दि0 3 जुलाई, 2008 जारी किए जा चुके है।

2– इस योजना की प्रगति समीक्षा करने पर पाया गया है कि उक्त शासनादेशों द्वारा दिए गए निर्देशों का ठीक प्रकार से अनुपालन नहीं किया जा रहा है एवं कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण तथा परिवर्तन की आवश्यकता है। अतः इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नवत बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण निर्गत किए जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

(1)– **पूर्व व्यवस्थाओं में परिवर्तन** :– उपरिउल्लिखित अधिसूचना/कार्यालय ज्ञापों द्वारा निर्गत व्यवस्थाओं में निम्नलिखित परिवर्तन किये जा रहे है :–

(i)– पत्र संख्या 356 /Dir A & E/ एन0पी0एस0/ 2009, दिनाँक 15 जुलाई, 2009 से राज्य हेतु उक्त योजना के लिए एक फण्ड मैनेजर (एस0बी0आई0) नियुक्त किया गया था, परन्तु अब उक्त एक के स्थान पर 3 फण्ड मैंनेजर यथा एस0बी0आई0, एल0आई0सी0 एवं यू0टी0आई0 नियुक्त किये जाते हैं।

(ii)–पूर्व में सभी कोषागारों के माध्यम से विकेन्द्रीयकृत मोड में डाटा ट्राँसफर की व्यवस्था की गयी थी जिसे अब केन्द्रीयकृत मोड में किया जायेगा।

(iii)–एक बार टीयर–1 का खाता खोले जाने के बाद कोई कर्मचारी एन0एस0डी0एल0 (नेशनल सेक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड), जिसको सरकार द्वारा सी0आर0ए0 (सेंट्रल रिकार्डकीपिंग एजेन्सी) नियुक्त किया है, द्वारा निर्धारित फैसेलिटेशन सेंटर (पी0 ओ0 पी0 – पाँइंट आफ प्रेजेन्स), जिसके पते संलग्न प्रपत्र "क" में दिये गये है, में टियर–2 का खाता खोल सकता है। उक्तवत् खाता खोलने पर कर्मचारी एवं एन0 एस0 डी0 एल0 के मध्य करार होगा एवं नियोक्ता का इस सम्बन्ध में कोई दायित्व नहीं होगा।

(iv)–पूर्व व्यवस्थानुसार टियर–2 खाता महालेखाकार, उत्तराखण्ड कार्यालय में खोले जाने की व्यवस्था को समाप्त किया जाता है।

(v)–कार्यालय ज्ञाप संख्या 346/XXVII (7)/2007, दिनांक 21 नवम्बर, 2007 द्वारा ऐसे स्वायत्तशासी संस्था/ स्थानीय निकाय, जो राजकोष से एकीकृत लेखा एवं भुगतान प्रणाली से वेतन आहरित नहीं करते हैं, हेतु यह व्यवस्था दी गई थी कि सी0आर0ए0 के नियुक्त होने तक नई पेंशन योजना की धनराशि ऐसे बैंक/संस्था में जमा करेंगे, जहां ब्याज सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज से कम न हो। इस सम्बन्ध में एन0एस0डी0एल0 द्वारा दिनाँक 11 व 12 दिसम्बर, 2009 को सम्पन हुए कार्यशाला में यह बताया कि एक बार जब राज्य सरकार के

कर्मचारियों की धनराशि बैंक ऑफ इण्डिया को भेजी जाने लगेगी, तो एन0एस0डी0एल0 उक्त संस्थाओं/स्वायत्तशासी संस्थाओं को भी अलग से स्वतंत्र रूप में सी0आर0ए0 में रजिस्टर करने की सुविधा उपलब्ध करायेगा।

(vi)–प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मियों के विषय में पूर्व में स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। प्रतिनियुक्ति पर गये राजकीय कर्मियों द्वारा सम्बन्धित कोषागार/सी0आर0ए0 से पी0आर0ए0एन0 (पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउण्ट नम्बर) लेने के बाद अपने व नियोक्ता के अंशदान की कुल धनराशि का ड्राफ्ट वेतन आहरण प्राधिकारी द्वारा पूर्ण विवरण सहित यथा नाम, पी0आर0ए0एन0, कर्मचारी का अंशदान, नियोक्ता के अंशदान को निदेशक, लेखा एवं हकदारी को भेजना होगा, जो इस प्रकार प्राप्त आंकड़े व फण्ड को सी0आर0ए0 को भेजेंगे। अतः अब नई पेंशन योजना के अन्तर्गत चालान द्वारा धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस आशय के आदेश भी सभी बैंकों को कोषागारों द्वारा दिये जायें। यदि किन्हीं कारणों से मैनुअल बिल बनाना अपरिहार्य हो तो उक्त बिलों से अंशदान की कटौती नही की जायेंगी।

(2)– **कोषागार से आहरण, सी0 आर0 ए0 व फन्ड मैनेजर को जमा अंशदान का प्रेषणः**– डाटा सेंटर प्रत्येक पूर्व माह का विस्तृत डाटा एस0सी0एफ0 के रूप में संलग्नक के प्रपत्र "ख" में आगामी माह की 10 तारीख तक सी0डी0 में एक कवरिंग लेटर (दो प्रतियों में) के साथ जिसमें कोषागारवार कुल कर्मचारियों की संख्या व धनराशि का उल्लेख होगा, निर्धारित संलग्नक के प्रपत्र "ग" में निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड को उलपब्ध कराया जायेगा। परन्तु प्रत्येक वर्ष के माह मार्च का डाटा उसी माह की 25 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर माह के अन्त में निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड द्वारा देहरादून कोषागार से घटाईये वापसी के माध्यम से उक्त धनराशि आहरित कर बैंक ऑफ इण्डिया, मुम्बई को भेजी जायेगी एवं इसकी प्रतिलिपि सी0आर0ए0 को पृष्ठांकित की जायेगी। इस सम्बन्ध में निदेशक, कोषागार एवं निदेशक, एन0आई0सी0 कोषागार के सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

दिनांक 01 सितम्बर, 2010 से अंशदायी पेंशन योजना की धनराशि कोषागारों द्वारा लेखाशीर्षक **"0071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में 00– 117–नई पेंशन योजना, 01– कर्मचारी का अंश, 02– नियोक्ता का अंश"** के नामे जमा की जायेगी।

(3)– **भविष्य में पी0आर0ए0एन0 (प्रान) प्राप्त करने की प्रकिया** :– निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड द्वारा अब तक सॉफ्ट कापी के माध्यम से 25997 कार्मिकों के सी0आर0ए0 से प्रान आबंटित करवा लिए गये हैं, जों डाटा सेंटर द्वारा समस्त कोषागारों के डेटाबेस में अपडेट किये जायेंगे और शेष कार्मिकों के प्रान माह अगस्त तक प्राप्त कर लिये जाएंगे। जिन कार्मिकों को सॉफ्ट कापी के माध्यम से प्रान प्राप्त हुए हैं, उन्हें सी0आर0ए0 द्वारा निर्धारित हार्ड कापी (Form S1) को भी भरकर अबिलम्ब कोषागारों के माध्यम से सी0आर0ए0 के फैसिलिटेशन सेंटर में जमा कराने होंगे और इसी के आधार पर ही सी0आर0ए0 द्वारा कार्मिकों का सम्पूर्ण डेटा अपडेट कर प्रान किट उपलब्ध करायी जायेंगी। दिनांक 31 जुलाई, 2010 के बाद निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड द्वारा पूर्व व्यवस्था के अनुसार सी0पी0एस0एन0 (कन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम नम्बर) आबंटित नहीं किये जायेंगे। अब नव नियुक्त कार्मिकों को सम्बन्धित कोषागार के माध्यम से फार्म एस0–1 भरकर सी0आर0ए0 के फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से ही पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउण्ट नम्बर (प्रान) आबंटन करवाना होगा। कोषागारों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेंगा कि कार्मिकों को सी0आर0ए0 से प्रान आबंटन होने के बाद ही अंशदान की कटौती की प्रारम्भ की जाए।

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय कार्मिकों का वेतन आहरण एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली के माध्यम से होने के साथ–साथ कोषागार अधिकारी ही आहरण वितरण अधिकारी का कार्य भी करते हैं, अतः उक्त योजना में कोषागारों का आहरण वितरण अधिकारी के रूप में सी0आर0ए0 में पंजीकरण किया गया है, परन्तु फार्म एस–1 के सैक्सन–B में डी0डी0ओ0 का आशय वास्तविक विभागीय डी0डी0ओ0 से है एवं इस सैक्सन के कालम–8 एवं 9 में क्रमशः डी0डी0ओ0 व डी0टी0ओ0 रजिस्ट्रेशन संख्याऐं, जो सी0आर0ए0 द्वारा आबंटित की गयी हैं कोषागारों द्वारा भरी जायेंगी।

(4)– अधिसूचना संख्या 26 /XXVII (7) /2008, दिनांक 30 जनवरी, 2009 के फलस्वरूप व्यवस्था परिवर्तन :– इस शासनादेश के द्वारा राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो दिनांक 1 अक्टूबर, 2005 या इसके पूर्व राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत थे, उन्हें कतिपय शर्तों के अधीन पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माना गया है जबकि दिनांक 1 अक्टूबर, 2005 या इसके बाद इनकी नई नियुक्ति के दृष्टिगत पूर्व में इनको नई अशंदान पेंशन योजना का सदस्य मानते हुये अशंदान काटा गया था, अतः अब इनसे पूर्व में जमा करायी गई नई पेंशन योजना के अशंदान की धनराशि इनको वापस कर इनको पूर्व आवंटित जी0पी0एफ0 खाते में जमा की जायेगी, जिस हेतु सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारी (डी0डी0ओ0) अपने यहां बनाये गए लेजर/पासबुक से धनराशि पूर्ण रूप से सत्यापित करते हुए उसे सम्बन्धित कोषागार से सत्यापित करवाकर निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड को प्रेषित करेंगे। मैनुअल बिलों के द्वारा काटे गये अंशदान का सत्यापन प्रस्तर–5 के अनुसार किया जाएगा। निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड अंतिम भुगतान की पर्ची बनाकर उसे कोषागार को भुगतान हेतु ठीक उसी प्रकार प्रेषित करेंगे जैसे कि जी0पी0एफ0 की धनराशि आहरित करने की प्रक्रिया है उसी प्रकार कर्मचारी की अंशदान से सम्बन्धित धनराशि मय ब्याज के अधिकारी/ कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी, जबकि नियोक्ता के अंशदान को राजकोष में वापस जमा कर दिया जायेगा। परन्तु निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड इस तरह के प्रकरण में फाइनल रिपोर्ट तभी लगायेंगें, जब सभी कोषागार इस तरह के प्रकरण अन्तिम रूप से निदेशालय को भेज दें।

(5)– लिगेसी डाटा का सत्यापन :– दिनाँक 1 अक्टूबर, 2005 से अब तक जमा धनराशि का व्यापक मिलान करने के बाद सी0आर0ए0 को प्रेषित किया जायेगा। मिलान कार्य एवं डेटा की शुद्धता के बारे में कार्यालय ज्ञाप संख्या 210/XXVII(7)/2008, दिनांक 3 जुलाई, 2008 में आहरण–वितरण अधिकारियों व कोषागारों के कर्तव्य स्पष्ट रूप से विभाजित किए गए हैं। इसके बावजूद भी डेटा में कुछ अशुद्धियां रह गयी हैं, जिनकी अब अन्तिम बार फार्म S-1 भरते समय शुद्धता सुनिश्चित कर ली जायेंगी। प्रत्येक अभिदाता के विगत वर्षों की वित्तीय वर्षवार (अर्थात 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10 एवं 2010–11), कोषागारवार, माहवार वार्षिक रिपोर्ट, जैसा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जी0पी0एफ0 हेतु तैयार की जाती है, जिसमें बाउचर नम्बर, चालान नम्बर, तिथि एवं ब्याज का स्पष्ट उल्लेख हो, तथा सम्बन्धित लेखा पर्चियां डेटा सेंटर द्वारा शीघ्र तैयार कर निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड एवं कोषागारों को उपलब्ध करायी जायेंगी और कोर ट्रेजरी सिस्टम इण्टरनेट साईट में रखी जायेंगी। लीगेसी डेटा मिलाने के लिए डेटा सेंटर द्वारा कोषागारवार व माहवार सूचना दिये गये संलग्नक के प्रपत्र "घ" में निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायी जायेंगी, जिससे डेटा मिलान किया जा सके।

लीगेसी डेटा के सत्यापन के लिए दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 के बाद जिन कार्मिकों के नई अंशदायी पेंशन योजना में अंशदान के एरियर की कटौती मैनुअल बिल द्वारा की गयी है, उनका बिलवार (वाउचर, दिनाक व धनराशि) व कार्मिकवार विवरण सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी तैयार करेंगे। प्रत्येक बिल से काटी गयी समेकित पूर्ण पेंशन अंशदान की धनराशि का योग कोषागार से सत्यापित कराया जायेगा और यदि यह धनराशि चालान द्वारा जमा की गयी है, तो चालान की धनराशि, चालान संख्या, दिनांक, CPSN व नाम का सत्यापन सम्बन्धित कोषागार द्वारा किया जायेगा।

3– उक्त शासनादेश के अनुरूप सभी आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा नई पेंशन योजना खाता धारकों के लेजर दिनांक 30 अक्टूबर, 2010 तक अवश्य तैयार किया जाना सुनिश्चित कर लिया जांए, यदि कीन्हीं कारणों से लेजर अभी तक नही बन पायें हों, तो उन्हें कोषागार से प्राप्त हाने वाली वेतन बिल (पे0रौल) की सहायता से अबिलम्ब तैयार करा लिया जाय और इस प्रकार तैयार लेजर से वर्षवार जी0पी0एफ0 की भांति नई पेंशन योजना की पासबुक तैयार करा ली जाय। उक्त पासबुक के आधार पर सी0आर0ए0 को लिगेसी धनराशि प्रेषित की जायेगी।

4– इस सम्बन्ध में समस्त कोषागार सम्बन्धित समस्त आहरण वितरण अधिकारियों की बैठक कर शासनादेश में वर्णित प्रकिया पर विस्तृत चर्चा करें व इसकी प्रतिलिपि प्रत्येक आ0वि0अ0 को उपलब्ध करायें जिससे प्रकिया का सत प्रतिशत कियान्वयन हो सके।

5– उक्तवत निर्गत की जा रही संशोधित व्यवस्था के दृष्टिगत इस विषय में प्रस्तर–1 में उल्लिखित अधिसूचना/कार्यालय ज्ञाप केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाये।

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

संख्या643 (1)/XXVII (7) (अं0पे0यो0)/ 2010, तददिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
3– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4– रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
5– स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
6– सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड देहरादून।
7– सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड देहरादून।
8– उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9– समस्त कोषागार अधिकारी उत्तराखण्ड।
10– निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल।
11– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की।
12– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड एकक देहरादून।
13– गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त

शासनादेश संख्या– /XXVII (7) (अं०पें०यो०)/ 2010 का संलग्नक

प्रपत्र "क" (संदर्भ प्रस्तर–1)

SNO	POP-SP City	CRA-FC ID	CRA FC Address
1.	Dehradun	51020	Alankit Assignments Ltd 11, First Floor 6, Cross Road, Dehradun, Uttarakhand 248001 Tel - 01352656312
2.	Dehradun	52041	Karvy Data Management Services Ltd 48/49 Patel Market, Opp Punjab Jewell, Near Gandhi Park, Dehradun Uttarakhand 248001 Tel - 01352714046
1.	Haldwani	51055	Alankit Assignments Ltd 2/594-I, Jhurmut, Polysheet Nainital Road, Haldwani, Uttarakhand - 263126 Tel - 05946- 283200
2.	Haldwani	52054	Karvy Data Management Services Ltd Durga City Center, Near Mbpg College, Naiinital Road, Haldwani, Uttarakhand - 263139 Tel - 05946- 285606

प्रपत्र "ख" (संदर्भ प्रस्तर–2)

S. N.	Subscriber Name	PRAN	DTO Reg. No.	DDO Reg No.	Govt. Contribution	Emp. Contribution	Month	Year	Contribution Type (Regular /Arrears)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
महायोग									

प्रपत्र "ग" (संदर्भ प्रस्तर–2)

क्र0स0	माह व वर्ष	कोषागार का नाम	योजना में कुल कार्मिको की संख्या	सुसंगत लेखाशीर्षक में कुल जमा धनराशि
1	2	3	4	5
महायोग				

प्रपत्र "घ" (संदर्भ प्रस्तर–5)

कोषागार का नाम	माह व वर्ष	कार्मिक का नाम	पदनाम	डी0डी0 ओ0 कोड	सी0पी0एस0 एन0(16 डिजिट)	सी0आर0ए0 द्वारा आबंटित प्रान	कार्मिक का अंशदान	नियोक्ता का अंशदान	कुल जमा अंशदान	वाउचर सं0	वाउचर का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
महायोग											

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त